

## न्यायालय तहसीलदार मूण्डवा जिला नागौर

निर्णय दिनांक:- 12-3-2018

मिसल नम्बर:- 478/2018

पत्रावली आज पेश हुई।

संक्षेप में प्रकरण इस प्रकार है कि पटवारी हल्का दिमाडी ने भू-अभिलेख निरीक्षक दिमाडी से सत्यापित एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि अप्रार्थी राजेश कुमार पुत्र राजेश कुमार जाति राजपूत निवासी दिमाडी ने मौजा/राजस्व ग्राम दिमाडी के खसरा नम्बर 47 रकबा 0-0-2-40 किस्म भूमि राजपूत पर संवत् 2074 में अवैध रूप से अतिक्रमण किया है।

इस पर अप्रार्थी के विरुद्ध 91 एल आर एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर नोटिस जारी किया गया है। नोटिस की विधिवत तामील के पश्चात अप्रार्थी उपस्थित/ अनुपस्थित। परन्तु किये गये अतिक्रमण के पक्ष में कब्जे के सबूत बावत कोई सन्तोषजनक जबाब अथवा दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये। पुराने कब्जे के बावत भी कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके अनुसार अतिक्रमी का मुतनाजा अराजी पर कब्जा है। एल आर एक्ट 1956 की धारा 91 के तहत अप्रार्थी अतिक्रमी का मुतनाजा अराजी पर कब्जा है। एल आर एक्ट 1956 की धारा 91 के तहत अप्रार्थी अतिक्रमी घोषित किया जाता है एवं उपरोक्त अतिक्रमी भूमि से बेदखली आदेश दिये जाते हैं। तथा अतिचार करने के फलस्वरूप लगान 0.10 प्रतिवर्ष का 50 गुना कुल 5/- रुपये बतौर जुर्माना आरोपित किया जाता है।

पटवारी हल्का व भू अभिलेख निरीक्षक अतिक्रमी को अतिक्रमण रथल से भौतिकरूप से बेदखल करके फर्द बेदखली रिपोर्ट पेश करे। साथ ही जुर्माना वसूल कर पालना रिपोर्ट पेश करे। तहसील राजस्व लेखाकार (टी.आर.ए.) व पटवारी हल्का को आदेशित किया जाता है कि मांग दर्ज कर वसूल करे।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली निर्णीतशुमार होकर नम्बर से कम हो।

मोहर

दि. 2017-18. 110 ल. सं. 4  
क्र. पृष्ठ 68 क्रम सं. 32 प.  
जुमाना 5 फ. नि.  
वर्ष जुमाना दर्ज किया

तहसीलदार  
मूण्डवा (नागौर)



Contact : 01584-283035(O) E-Mail- tdr.mun@rediffmail.com

स्वच्छ नागौर - स्वस्थ नागौर - निराळो नागौर

